न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–94 / 2021

शिव सागर साह.....वादी

बनाम

अशोक राय वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

21.03.23 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–1 से 5 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–01.08.2022 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–19.09.2022 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादीगणों ने निवेदन किया है कि वे वर्तमान वाद में दिनांक–24.01.2022 को उपस्थित हुए है, परन्तु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अपना प्रतिवादपत्र दिनांक–25.04.2022 को दाखिल किया है जबकि उन्हें इस न्यायालय के आदेश दिनांक–28.03.2022 द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश को वापस लेते हुए उनके द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

वादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आदेश वापस लिए जाने योग्य नहीं है और प्रतिवादपत्र समय से दाखिल नहीं है। दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने संबंधी कथन बिल्कुल गलत है और उनका आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण दिनांक–24.01.2022 को उपस्थित हुए हैं और उनकी ओर से लिखित कथन दिनांक–25.04.2022 को दाखिल किया गया है जो नियमतः 90 दिनों के भीतर है। लिखित कथन विलंब से दाखिल किए जाने का कारण दस्तावेज का उपलब्ध न होना बतलाया गया है जो सम्भव है। अतः प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं उनके द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र दिनांक–25.04.2022 सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाता है।

पश्चात यह अभिलेख वादी द्वारा दाखिल एक संशोधन आवेदन दिनांक–08.12.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–25.01.2023 भी आदेशार्थ लंबित है।

इस आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों द्वारा अंतरण के बावजूद चौहद्दी संबंधित त्रुटि रह गई जिसे संशोधित करना आवश्यक है, चूँकि उससे विवादित भूमि का भौतिक स्वरुप स्पष्ट होता है और यह त्रुटि भूलवश है।

प्रतिवादीगणों ने इस आवेदन का प्रत्युत्तर देते हुए यह निवेदन किया है कि विवादित भूमि पर उनका दखल–कब्जा है। वाद वर्ष, 2021 में दायर किया गया था, किन्तु

T.S-94/2021

लगातार विवादित भूमि में चौहद्दी का अंकित नहीं किया जाना एक आशयीत भूल है। अतः आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में विवाद्यक का गठन नहीं हुआ है और वादपत्र में प्रस्तावित संशोधन विवादित भूमि की चौहद्दी से संबंधित है जो उभय पक्षों के मध्य वादग्रस्त विवादित भूमि के स्पष्टीकरण एवं अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। तद्नुसार वादी द्व ारा दाखिल उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर वादपत्र में वांछित संशोधन दर्ज करें।

पश्चात् वादी की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक–19.09.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा दिनांक–08.12.2022 पर भी यह अभिलेख आदेशार्थ नियत है।

इस वाद में वादी ने यह निवेदन किया है कि उनकी ओर से वर्तमान मुकदमा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पूर्वजों के नाम अंकित हाल सर्वे खतियान को नाजयज घोषित करवाने हेतु दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल लिखित कथन की कंडिका–2 में वादी का दावा पुष्ट है, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा आस–पास समाज में यह धमकी दी जा रही है कि वे विवादित भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित कर देंगे। प्रतिवादीगणों की वर्तमान वाद में सफल होने की कोई सम्भावना नहीं है और सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है। अतः प्रतिवादीगणों को व्यादेश द्वारा विवादित सम्पत्ति के अन्यथा अंतरण से व्यादेशित करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगणों ने यह निवेदन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि की कोई खरीद–बिक्री नहीं की गई है और न ही उनकी भौतिक स्थिति में बदलाव किया है एवं विवादित भूमि मूल रूप से प्रतिवादियों के पूर्व क्रेता द्वारा दिया गया और भरनेदार के दखल–कब्जा में है। विवादित भूमि निलामी तथा रसीदी बन्दोबस्ती द्वारा प्रतिवादीगणों के पूर्वजों के द्वारा मिला था और जमींदारी रिटर्न में भी प्रतिवादीगणों के पूर्वज शीतल महतो का नाम अंकित है। इस प्रकार उनके नाम से सर्वे पर्चा बनते हुए खतियान निर्गत हुआ है जिसका कोई विरोध वादीगणों द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि का बंटवारा भी हो चुका है और दिनांक–10.03.2000 को रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को दीलिप राय को एवं अन्य निबंधित विक्रयविलेखों के द्वारा कई खरीददार को भूमि अंतरित की गई है जिसपर उनका दखल–कब्जा है तथा तीन कट्ठा भूमि कारू पासवान को मौखिक भरना में दिया गया है जिसपर उनका दखल–कब्जा है। इस प्रकार उपरोक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादीगणों द्वारा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध उद्घोषणात्मक डिक्री हेतु दाखिल किया गया है तथा दखल–कब्जा के संबंध में किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं की गई है। इतना ही नहीं, लिखित कथन दाखिल होने के पश्चात् भी

T.S-94/2021

21.03.23 वादीगणों द्वारा पूर्व के किसी केवाला दस्तावेज को शून्य घोषित किए जाने हेतु किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं की गई है। अतः न्यायालय को यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दखल–कब्जा के संबंध में किसी प्रकार के अनुतोष की मांग न किया जाना उनके हकियत पर प्रश्नचिन्ह् उत्पन्न करता है। प्रतिवादीगणों के पूर्वजों के नाम सर्वे खतियान का दर्ज होना स्वीकृत है जो उनके दखल–कब्जा का प्रथम दृष्टया प्रमाण है। अतः वादी को वर्तमान वाद में कोई प्रथम दृष्टया वाद उपलब्ध नहीं है। सुविधा के संतुलन के संबंध में भी, चूँकि विवादित भूमि से संबंधित निष्पादित विक्रयविलेखों के प्रश्नगत नहीं किया गया है। अतः यह भी भ्रमकारी एवं आश्चर्यजनक है। इस प्रकार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादी को वर्तमान वाद के कारण हेतुक की तथा उपलब्ध तत्विक तथ्यों की विनिर्दिष्ट जानकारी नहीं है। अतः उपरोक्त निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाता है एवं अभिलेख को धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु दिनांक– 11-04-2023 वास्ते को नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।